न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 157/2025/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोर्ट बून्दी
दायरा दिनांक 04.04.2025
अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मांगीलाल आ० मोतीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज०)

.....अपीलार्थी

बनाम

1. हरिश्चन्द्र आ० भीमराज जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा
2. फूलचन्द आ० भीमराज जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा
3. मांगीबाई पुत्री भीमराज जाति रेबारी निवासी रेबारपुरा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज०)

.....रेस्पोडेन्टस

उपस्थित : श्री राजकुमार माथुर अभिभाषक – अपीलार्थी
श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1 से 3

::निर्णय::

दिनांक 28.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 208/अपील/2017 बउनवान मांगीलाल बनाम हरिशचन्द्र वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2023 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार लाखेरी द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण सं0 441 दिनांक 18.10.2017 ग्राम लक्ष्मीपुरा से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण को अपीलार्थी के द्वारा विधिविरूद्ध साबित करने में असफल रहना वर्णित करते हुए उक्त नामांतरकरण को विधिसम्मत मानते हुए अपील अपीलार्थी निर्णय दिनांक 16.08.2023 से खारिज की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा न. 659 रकबा 0.7700 हेक्टेयर वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का नोताड़ा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी को वर्ष 1976 में आवंटित हुई थी विवादित नामान्तरकरण से पूर्व उक्त भूमि अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज थी और उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी काबिज काश्त कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। परन्तु उक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 441 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के पक्ष में दिनांक 18.10.2017 से खोल दिया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां प्रस्तुत की जिस पर निर्णय करते हुए जिला कलक्टर बून्दी द्वारा दिनांक 16.08.2023 को उक्त अपील खारिज फरमा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बून्दी द्वारा खोला गया नामान्तरण सं. 441 दिनांक 18.10.2017 वस्तु स्थिति व विधान प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी को वर्ष 1976 में आवंन्टित कर अपीलार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज कर कब्जा मौके पर संभलाया गया तब से उक्त भूमि पर अपीलार्थी कृषि कार्य करता चला आ रहा था, परन्तु उक्त तथ्य की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण खोला गया। इस प्रकार विवादित नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल खोलेने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई तथा न हीं कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जो सर्वथा विपरीत वस्तुस्थिति होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर करीब 40 वर्षो से निरन्तर कृषि काश्त करता चला आ रहा है, उक्त तथ्य को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य विवादित नामन्तकरण तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जानें योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर रेस्पोंडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 को लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त विवादित नामान्तरकरण खोला है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 441 दिनांक 18.10.2017 ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का नोताडा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी को निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 क्र.1 लगायत 3 का नाम विलोपित कर अपीलार्थी का नाम पूर्व की भांति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 156 सीलिंग 2008 में पारित दिनांक 13.01.2009 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। जिसकी सूरजमल पुत्र प्रताप एवं अर्जुन पुत्र प्रताप के द्वारा अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की जाने पर अपील खारिज की गई। इस प्रकार अपीलार्थी उक्त दोनों न्यायालय में पक्षकार नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2023 में यह विवेचन किया गया कि प्रकरण में अपीलाधीन नामांतरकरण मूल आदेश नहीं होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी का निर्णय मूल आदेश है। अपीलार्थी को मूल आदेश से आपत्ति होने से उनके द्वारा राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में अपील दायर कर अपने अधिकार का उपयोग किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी को वर्ष 1976 में आवंटित हुई थी विवादित नामान्तरकरण से पूर्व उक्त भूमि अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज थी और उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी काबिज काश्त कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। परन्तु उक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 441 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के पक्ष में दिनांक 18.10.2017 से खोल दिया। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल खोलेने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार कोई सूचना नहीं दी गई तथा न हीं कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर करीब 40 वर्षो से निरन्तर कृषि काश्त करता चला आ रहा है, उक्त तथ्य को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य विवादित नामन्तरकरण तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जानें योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 441 दिनांक 18.10.2017 ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का नोताडा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी को निरस्त किया जावे तथा रेस्पो० क्र.1 लगायत 3 का नाम विलोपित कर अपीलार्थी का नाम पूर्व की भांति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज फरमाये जाने का अनुरोध किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा अपने विवेचन मे स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 441 दिंनाक 18.10.2017 को विधि विरूद्ध साबित करने मे असफल रहे है। जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 441 दिंनाक 18.10.2017 माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) बून्दी के प्रकरण संख्या 156/2008 सरकार बनाम् अर्जुनराम वगै0 निर्णय दिंनाक 13.01.2009 के तहत रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही के तहत 327 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे से 57 बीघा 15 बिस्वा भूमि सीलिंग सरप्लस घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया है किन्तु पुराने सीलिंग कानून के तहत कुल भूमि में से 278 बीघा 06 बिस्वा भूमि सीलिंग मे अधिग्रहण कर सिवायचक दर्ज की जा चूकी थी। माननीय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण के पूर्वजो का 4 यूनिट भूमि मानते हुए प्रत्येक को 67 बीघा 10 बिस्वा भूमि धारित किये जाने का अधिकारी मानते हुए 270 बीघा भूमि खातेदारी मे दर्ज किये जाने का न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग द्वारा अपने निर्णय मे उल्लेखित किया है, जिसमे से 220 बीघा 11 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज प्रताप के पुत्र रामकिशन अर्जुन, सूरजभान, भीमराज (मृतक) के कायम मुकामान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के खातेदारी मे दर्ज किये जाने का आदेश दिंनाक 04.07.2017 को अपने निर्णय मे पारित किया गया है, उक्त निर्णय के आशय मे तहसीलदार इन्दगढ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 441 दिंनाक 18.10.2017 रेस्पोडेन्टगण के पक्ष मे खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बून्दी के विधिसम्मत निर्णय के अनुरूप रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में खोला गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बून्दी के प्रकरण संख्या 156/सिलिग/2008 सरकार बनाम् अर्जुनराम के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे खारिज हो जाने के पश्चात किसी प्रकार से उक्त अपील के माध्यम से नामान्तरकरण संख्या 441 दिनाक 18.10.2017 के विरूद्ध अपील चलने योग्य नही है, क्योंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सीलिंग) बून्दी को निर्णय अंतिम हो चुका है। यदि अपीलार्थी को आपत्ति हो तो माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार लाखेरी द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण सं0 441 दिनांक 18.10.2017 ग्राम लक्ष्मीपुरा से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण को अपीलार्थी के द्वारा विधिविरूद्ध साबित करने में असफल रहना वर्णित करते हुए उक्त नामांतरकरण को विधिसम्मत मानते हुए अपील अपीलार्थी निर्णय दिनांक 16.08.2023 से खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 156 सीलिंग 2008 में पारित दिनांक 13.01.2009 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। वादग्रस्त उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी को वर्ष 1976 में आवंटित हुई थी, विवादित नामान्तरकरण से पूर्व उक्त भूमि अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज थी और उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी काबिज काश्त कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। परन्तु उक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 441 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के पक्ष में दिनांक 18.10.2017 से खोल दिया। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल खोलेने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार कोई सूचना नहीं दी गई तथा न हीं कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर करीब 40 वर्षो से निरन्तर कृषि काश्त करता चला आ रहा है, उक्त तथ्य को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य विवादित नामन्तरकरण तस्दीक किया है। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि प्रश्नगत उक्त नामान्तरकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बून्दी के विधिसम्मत निर्णय के अनुरूप रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में खोला गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बून्दी के प्रकरण संख्या 156/सीलिंग/2008 सरकार बनाम् अर्जुनराम के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे खारिज हो जाने के पश्चात किसी प्रकार से उक्त अपील के माध्यम से नामान्तरकरण संख्या 441 दिनाक 18.10.2017 के विरूद्ध अपील चलने योग्य नही है, क्योंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सीलिंग) बून्दी को निर्णय अंतिम हो चुका है। यदि अपीलार्थी को आपत्ति हो तो माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी के निर्णय दिनांक 01.06.2017 की पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा की जा चुकी है तथा यह निर्णय

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

(अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी का निर्णय दिनांक 01.06.2017) अंतिम निर्णय हो चुका है। अपीलाधीन नामांतरकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सीलिंग) बून्दी के निर्णय दिनांक 01.06.2017 की पालना में खोला गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पूर्णतया सहमत है कि यदि अपीलार्थी माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के उक्त निर्णय से व्यथित पक्षकार है, तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय के विरूद्ध चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। चूंकि नामान्तरकरण संख्या 441 अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी के आदेश दिनांक 01.06.2017 की पालना में खोला गया है तथा इस निर्णय की पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 16.08.2023 में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा